HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2544/2026

Amandeep Singh S/o Devraj Singh, Aged About 24 Years, R/o Bal Mandir Colony, Sawai Madhopur, Raj. (At Present Confined In District Jail, Gangapur City).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Kailash Chand Meena
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

24/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना उदई मोड़, जिला–सवाई माधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 18/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66(डी) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई आक्षेप नहीं है, केवल सहअभियुक्तगण यश व आर्यन द्वारा नाम लेने के आधार पर ही प्रार्थी को अभियुक्त बनाया गया है। सहअभियुक्तगण प्रार्थी के स्कूल के मित्र हैं। प्रार्थी पर केवल 40,000 रूपये कमीशन प्राप्त करने का आक्षेप है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 29.01.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रार्थी 24 वर्ष का युवक है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ही प्रकरण का मुख्य षड़यंत्रकर्ता है, जिसके द्वारा सहअभियुक्तगण यश व आर्यन के बैंक खाते प्राप्त कर उनका उपयोग साईबर ठगी करने में किया गया है और लोगों से धोखाधड़ी कर उक्त खातों में राशि प्राप्त की गई है। प्रार्थी के द्वारा ही उक्त दोनों खातों का संचालन किया जाता था। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 318(4), 319(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66(डी) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी पर यह आक्षेप है कि उसने सहअभियुक्तगण यश व आर्यन का बैंक खाता प्राप्त कर उनमें साईबर ठगी करके ठगी की राशि प्राप्त की है। अन्वेषण से यह प्रकट हुआ है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने कमीशन पर सहअभियुक्तगण के बैंक खाते प्राप्त किये हैं तथा उन बैंक खातों को एक चाईनीज कम्पनी को उपलब्ध करवाया है, जिन खातों में चाईनीज कम्पनी द्वारा धोखाधड़ी की राशि डाली जाती थी, जिस राशि से प्रार्थी वायनेन्स एप के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदकर उसी कम्पनी को वापिस देता था, जिस पर कम्पनी उसे 8–10 प्रतिशत कमीशन देती थी। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के जो बैंक खाते साईबर ठगी हेतु प्राप्त किये गये थे, उन खातों के संबंध में साईबर पोर्टल पर 4–4 शिकायतें दर्ज हैं, जो ऑनलाईन निवेश करने का झांसा देकर, फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी करने संबंधी हैं। इस प्रकार प्रार्थी–अभियुक्त ने ठगी की राशि विभिन्न बैंक खातों में प्राप्त की है। ठगी की राशि के संबंध में बैंक खाता विवरण भी प्राप्त किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है।

वर्तमान् में ऑनलाईन ठगी के अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा इन अपराधों में लिप्त अभियुक्तगण एक–दूसरे के सम्पर्क व सहयोग में होते हैं और अपराध में सभी अभियुक्तगण की अपनी–अपनी सक्रिय भूमिका होती है, जो अपने कृत्य द्वारा अपराध को सुगम (facilitate) बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार सभी अभियुक्तगण संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में कार्य करते हैं और अनजान लोगों से ऑनलाईन ठगी कारित कर राशि प्राप्त करते हैं। प्रकरण में अभी अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ

है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /58